



2035 तक अपना स्पेस स्टेशन, 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय: पीएम मोदी

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार, 10 सितंबर को पेरिस में इंटरनेशनल स्पेस समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, 'भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ स्पेस डोमेन का समर्थन करता है। स्पेस की संभावनाएं असीमित हैं और हमारी जिम्मेदारी सामूहिक है।' प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस में भारत की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए कहा, 'चंद्रमान-3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना दिया है। आदित्य छ1 सूरज के रहस्यों को उजागर कर रहा है।' पीएम मोदी ने कहा, 'इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (कस्फड) की

टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के काम आती हैं। इस वैश्विक भरोसे के पीछे भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की कड़ी पीढ़ियों का समर्पण और कड़ी मेहनत है। दिन-रात काम करके उन्होंने कस्फड की प्रतिष्ठा बनाई है।' प्रधानमंत्री ने स्पेस में भारत के भविष्य को लेकर कहा, 'पिछले साल, एक भारतीय ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा किया। आगे देखते हुए, हमारा लक्ष्य 2035 तक एक भारतीय स्पेस स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है।' पीएम ने आगे कहा, 'इन सभी प्रयासों में, हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत स्पष्ट रहा है। इनके लाभ पूरी मानवता तक पहुंचने चाहिए। कस्फड के साथ-



साथ, भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उद्यम की ऊर्जा कस्फड की उत्कृष्टता के साथ जुड़ रही है।' प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल स्पेस समिट को संबोधित करते हुए कहा, 'हम अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ स्पेस

पीढ़ी के स्पेस रिसर्च में सह-यात्री बनने का भी आग्रह करते हैं।' पीएम ने आगे कहा, '1960 के दशक में थुम्बा में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत के समय से ही फ्रांस एक भरोसेमंद साझेदार रहा है। आज, हमारा सहयोग पृथ्वी अवलोकन और उन्नत तकनीकों तक फैला हुआ है, जो वैज्ञानिक उत्कृष्टता को मानवीय उद्देश्य के साथ जोड़ता है।' प्रधानमंत्री ने कहा, हम फ्रांस और दुनिया को भारत के अगले अंतरिक्ष अभियान में सह-यात्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। पेरिस में हो रहा यह स्पेस समिट एक स्पष्ट संदेश दे। हम मिलकर खोज करेंगे, मिलकर नवाचार करेंगे और पूरी मानवता तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष की रक्षा करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने CJP विरोध मामले में 14 साल की लड़की को डराने-धमकाने के आरोपों पर गंभीरता से संज्ञान लिया

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को CJP विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी 14 साल की लड़की को डराने-धमकाने और उसके घर पर कथित तौर पर पत्थर फेंके जाने के आरोपों पर गंभीरता से संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए किसी नाबालिग या उसके परिवार को डराने-धमकाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि नाबालिग को धमकी देने के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि आपराधिक कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए किसी पीड़ित या उसके परिवार को डराने-धमकाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। CJI ने आरोपों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कहा, अगर कोई असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने किसी बच्चे के खिलाफ हिंसा की है, और वे आजाद घूम रहे हैं और



बच्चे को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह एक गंभीर बात हो सकती है। यह मामला जायज है। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। यह मामला छात्र विरोध प्रदर्शन केस की सुनवाई के दौरान तब उठा, जब वकील ने बेंच का ध्यान एक वीडियो की ओर दिलाया। इस वीडियो में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान लड़की के पिता पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली से FIR, लड़की और उसके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था, और हमले व डराने-धमकाने के आरोपियों को खिलाफ

उठाए गए कदमों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि FIR पर तेजी से कार्रवाई हो और नाबालिग लड़की व उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के उपाय किए जा सकते हैं और स्थानीय पुलिस इस घटना को एक अलग मामले के तौर पर देख सकती है। CJI ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, बच्चा तो बच्चा ही होता है। बच्चे की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। स्थानीय पुलिस इस घटना को एक अलग मामले के तौर पर ले सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें बच्चे की सोशल मीडिया पोस्ट से इस मामले की जानकारी थी। इस बीच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि ग्रेटर नोएडा के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया गया है।

चीन की बंदरगाह पर मालवाहक जहाज बना आग का गोला, 20 सवारों की मौत और 5 लापता

चीन। चीन के किंगदाओ बंदरगाह पर मुस्मत्त के लिए खड़े एक मालवाहक जहाज में गुरुवार को अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक, हादसे के समय जहाज पर कुल 42 लोग मौजूद थे। हादसे में 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पांच घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की ओर से जारी तस्वीर में आग की चपेट में आए जहाज की पहचान ह्यूओशन मेनोडी के रूप में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज चीन के उत्तर-पूर्वी टट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह शहर किंगदाओ में बेहाई शिपबिल्डिंग



कंपनी के परिसर में मस्मत्त के लिए खड़ा था। यह कंपनी चीन की सरकारी चाइना स्टेट शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। जहाज लाइबेरिया के झंडे के तहत पंजीकृत बताया गया है। आग लगने के समय जहाज पर 42 लोग मौजूद थे। बचाव अभियान के दौरान 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पांच अन्य लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार

उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। इसके बावजूद पांच लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। रिपोर्टों के अनुसार जहाज में स्थानीय समानानुसार सुबह करीब 11 बजे आग लगी। दमकल और बचाव दल ने कई घंटे तक आग पर काबू पाने की कोशिश की और करीब दोपहर 2:30 बजे आग बुझाई जा सकी। घटना के वीडियो में जहाज पर मौजूद कर्मचारियों को आग बुझाने की कोशिश करते देखा गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव अभियान तेज करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ली च्यांग ने भी जहाज में फंसे लोगों को बचाने और राहत अभियान को प्राथमिकता देने को कहा।

चेन्नई, 10 सितम्बर। दलीप ट्रॉफी 2026 में ईशान किशन की ईस्ट जोन टीम ने इतिहास रचते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। चेन्नई के चेपॉक में खेले गए फाइनल में ईशान किशन की कप्तानी वाली टीम ने पहली पारी में मिली 372 रन की बढ़त के आधार पर ट्रॉफी जीत ली। ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन बनाए थे, जिसके जवाब में साउथ जोन की टीम 336 रन पर सिमट गई थी। इसके बाद ईस्ट जोन ने दूसरी पारी में 388/7 के स्कोर पर पारी घोषित कर दी। मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ पर पहली पारी में बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन की टीम चैंपियन बन गई। ईस्ट जोन ने पिछली बार 2012-13 में दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता था। यानी टीम को दोबारा चैंपियन

बनने के लिए 13 साल का इंतजार करना पड़ा। यह ईस्ट जोन का कुल तीसरा दलीप ट्रॉफी खिताब है। इस बार और 2012-13 से पहले टीम ने 2011-12 में भी खिताब जीता था। यानी लगातार तब दो खिताब जीते थे। उन दोनों सीजन में टीम के कप्तान नटराज बेहेरा रहे थे। ईशान ईस्ट जोन को ट्रॉफी दिलाने वाले दूसरे कप्तान हैं। ईशान किशन को उनकी 270 रन और 80 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया। वहीं, साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ईस्ट जोन की इस खिताबी जीत के सबसे बड़े नायक कप्तान ईशान किशन रहे। उन्होंने फाइनल में बल्ले से ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने मुकाबले की तस्वीर ही बदल दी।



पहली पारी में ईशान ने 334 गेंदों पर 270 रन की शानदार पारी खेली। उनकी पारी में 30 चौके और सात छक्के शामिल रहे। वह दलीप ट्रॉफी फाइनल में दोहरा शतक लगाने वाले केवल सातवें बल्लेबाज बने। ईशान यहीं नहीं रुके। दूसरी पारी में भी उन्होंने 98 गेंदों पर 80 रन बनाए। इस तरह फाइनल में उनके

बल्ले से कुल 350 रन निकले। पहली पारी में 270 रन बनाने के दौरान ईशान करीब 522 मिनट तक क्रीज पर रहे और 250 रन पूरा करने के बाद रेट्रन के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए थे। हालांकि, वह दोबारा मैदान पर लौटे और 270 रन बनाकर ही पवेलियन गए। ईशान के 270 और कुमार

कुशाग्र के 101 रन की बदौलत ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह दलीप ट्रॉफी फाइनल के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर है। साउथ जोन के लिए कप्तान तिलक वर्मा ने 99 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन पूरी टीम 336 रन पर सिमट गई। इस तरह ईस्ट जोन को पहली पारी में 372 रन की बड़ी बढ़त हासिल हुई। दूसरी पारी में भी ईस्ट जोन ने बल्लेबाजी जारी रखी और 388/7 पर पारी घोषित कर दी। इस दौरान ईस्ट जोन की कुल बढ़त 760 रन तक पहुंच गई। साउथ जोन के सामने मैच जीतने के लिए असंभव सा लक्ष्य था और पहली पारी में मिली बढ़त के कारण ईस्ट जोन का खिताब पहले ही तय हो चुका था।

'हाई कोर्ट से केस ट्रांसफर नहीं करेंगे', सत्य निकेतन हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया रुख

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे सत्य निकेतन इमारत गिरने के मामले को अपने पास ट्रांसफर नहीं कर रहा है क्योंकि कार्रवाई शुरू हो गई है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि वे मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं करना चाहते और हाई कोर्ट थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर अपने निर्देशों के पालन की निगरानी करता रहेगा। दिल्ली सुनिवर्सिटी के साउथ कैम्पस के पास सत्य निकेतन में लड़कों के लिए पेइंग गेस्ट सुविधा वाली पांच मंजिला इमारत रविवार दोपहर करीब 1.30 बजे गिर गई थी, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। इस मामले में एमिकस क्यूरी के तौर पर नियुक्त सीनियर वकील अजीत सिन्हा ने बताया कि उन्हें

अपने सूचों और मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि सिविक अथॉरिटीज ने अनधिकृत निर्माण और पीजी आवासों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और चार मंजिला से ऊंची इमारतों को गिराया जा रहा है। दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बेंच से आग्रह किया कि वे हाई कोर्ट से केस ट्रांसफर न करें क्योंकि सिविक अथॉरिटीज अब ज्यादा फोकस के साथ काम कर रही हैं। बेंच ने एमिकस क्यूरी और एसजी के सुझाव को मान लिया और कहा कि केस ट्रांसफर नहीं कर रही है और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ उसके पहले के निर्देशों का पालन किया जाएगा। 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह केस ट्रांसफर कर सकता है।

युवा नौकरी तलाशने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें : नितिन नवीन

हल्हानी, 10 सितम्बर। उत्तराखंड के लिए पलायन को एक गंभीर चुनौती बताते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बृहस्पतिवार को युवाओं से कहा कि वे केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनने की दिशा में आगे बढ़ें। अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन नवीन ने यहां युवाओं से संवाद

किया और उत्तराखंड के विकास तथा भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की। नवीन ने युवाओं से अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और कौशल का निरंतर नवीन से बृहस्पतिवार को युवाओं से कहा कि वे केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनने की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सामने पलायन एक गंभीर चुनौती है



तथा रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में बड़ी संख्या में युवाओं का राज्य से बाहर जाना चिंता का विषय है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पलायन रोकने के लिए केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और स्थानीय संसाधनों पर आधारित

रोजगार को बढ़ावा देना जरूरी है। नवीन ने कहा कि युवा केवल नौकरी पाने की सोच तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी क्षमता और कौशल के आधार पर रोजगार देने वाले बनने की दिशा में भी आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप, स्वरोजगार और स्थानीय स्तर पर उद्यमिता के माध्यम से युवा न केवल अपने लिए अवसर पैदा कर सकते हैं, बल्कि अन्य लोगों

को भी रोजगार उपलब्ध कर सकते हैं। नवीन ने कहा कि किसी भी प्रदेश की प्रगति में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उत्तराखंड का भविष्य यहां के युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवान्धार से तय होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं और जरूरतों को नीतियों तथा विकास योजनाओं से जोड़ना जरूरी है।

DAKS REHAB CENTRE

(PARALYSIS PHYSIOTHERAPY CENTER AND OLD AGE HOME)

Contact us: 9820519851

विल्डिंग नंबर 3, फ्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीवी नगर मुंबई-37

- * Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
- * बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
- * वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
- * DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
- * NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
- * चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
- * एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
- * पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
- * मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
- * विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
- * मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तियों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध

NEW LIGHT CLASSES

TRADITION OF EXCELLENCE

2nd Floor, Sheetal Bldg. Near Diamond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra

ADMISSIONS OPEN

ALL OVER INDIA

ENROLL NOW

SMART CLASSROOM

(ONLINE/OFFLINE)

Courses Offered

- Std. XI & XII (Sci.)
- NEET
- JEE (Main & Advance)
- MHT-CET
- Polytechnic & Engg
- Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)

M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

